भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1890

उत्तर देने की तारीख 30.07.2026

हिमाचल प्रदेश में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का कार्यान्वयन

1890. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जनजातीय विकास के लिए **'**धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान**'** **(**डीएजेजीयूए) के अंतर्गत विकास हेतु चुने गए गांवों की संख्या कितनी है**;**

(ख) क्या एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त परियोजना के अंतर्गत चंबा जिले को कोई निधि जारी की गई है और यदि हां**,** तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले में जनजातीय विकास के लिए 'धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान' (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत विकास हेतु 7 ब्लॉकों में 156 गांवों की पहचान की गई है।

(ख) हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में दो एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं (आईटीडीपी), नामतः आईटीडीपी भरमौर और आईटीडीपी पांगी हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत, आईटीडीपी भरमौर में 30 गांवों और आईटीडीपी पांगी में 48 गांवों को कवरेज के लिए चुना गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए), भारत सरकार के उपायों (हस्तक्षेपों) के अंतर्गत, अब तक आईटीडीपी भरमौर में 551.11 लाख रुपये और आईटीडीपी पांगी में 851.00 लाख रुपये की राशि की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

(ग) डीएजेजीयूए के अंतर्गत चंबा ज़िले को निर्मुक्त निधियों (रुपये लाख में) का ब्यौरा **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

अनुलग्नक ।

डीएजेजीयूए के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के चंबा ज़िले को निर्मुक्त निधियों का ब्यौरा तालिका में दिया गया है (रुपये लाख में)।

क्र.सं.	**उपाय (हस्तक्षेप)**	**जिला**	**इकाई**	**अनुमोदित निधि**
1	जनजातीय विद्यालयों में कक्षा (क्लासरुम) का निर्माण	चंबा	2	280
2	छात्रावास भवन का निर्माण	चंबा	1	275
3	शौचालय ब्लॉकों का निर्माण	चंबा	13	131
4	छात्रावास, आश्रम और विद्यालय की मरम्मत	चंबा	62	716.11
5	जनजातीय बहुउद्देश्यीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी)	चंबा	2	200
6	वन अधिकार अधिनियम (एफआरए)	चंबा	1	8.67

डीएजेजीयूए के अंतर्गत निर्मुक्त निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**निर्मुक्त निधियां (रुपये लाख में)**
2023-24	शून्य
2024-25	शून्य
2025-26	708.44
2026-27	381.88
कुल	1,090.32
